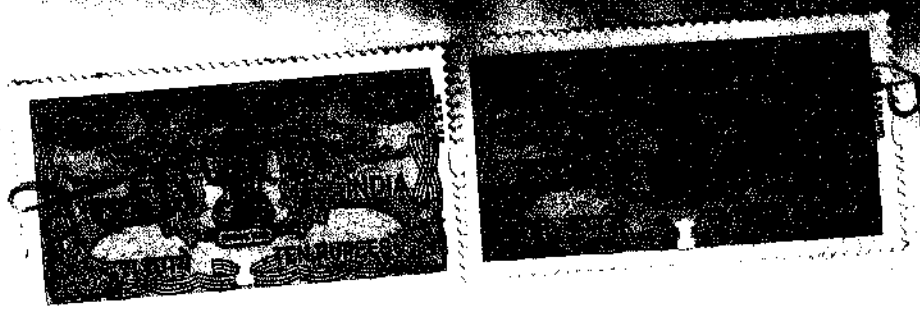

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल
ग्वालियर म.प्र. नि. 605-II/16

श्री डी.के. पारी (एड.) द्वारा आज दि. 18/02/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राजकुमार आयु 45 वर्ष तनय श्री कल्याण सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम मुढ़री तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

——— आवेदक / याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. वीर सिंह आयु लगभग 55 वर्ष तनय श्री कल्याण सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम मुढ़री तहसील बीना जिला सागर

2. म.प्र. राज्य शासन

——— प्रत्यर्थीगण / उत्तरवादीगण

डी. के. पारी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र.
ग्वालियर मो.: 9753356589

साम्पातिक प्रकरण क्रमांक 4अ/06 वर्ष 2015—16

विद्वान विचारण न्यायालय – अनुविभागीय अधिकारी बीना

आदेश दिनांक – 10/02/16

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता आवेदक नीचे लिखे अनुसार याचिका प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय से प्रार्थना करता है कि –

याचिका से संबंधित तथ्य

1. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 सगे भाई हैं, सन 1991 में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार, पारिवारिक सदस्यों के मध्य कृषि भूमि पर कब्जे के आधार पर नामांतरण आदि की कार्यवाही हुई, जो दिनांक 01/04/91 को सभी की सहमति से संशोधन पंजी पर हुई, संशोधन पंजी पर कार्यवाही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 605–दो/16 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-2-16	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.02.2016 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गयी है। 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं आवेदक की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम मूडरी की संशोधन पंजी वर्ष 1990–91 की प्रविष्टी क्रमांक 3 दिनांक 01.04.1991 के विरूद्व अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के न्यायालय में अवधि बाह्य प्रस्तुत की गयी है जिसमें परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसपर विचार करने के पश्चात् अनुविभागीय	

R 605 ७/१६

अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 10.02.2016 पारित किया है जिसके अनुसार अपील को समय सीमा में माना गया है इसके विरुद्ध आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है इसमें आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 24 वर्ष के लम्बे अन्तराल को क्षमा कर अपील को सुनवाई योग्य माना है। जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है इस संबंध में अनावेदक की ओर से अपने तर्कों में यह बताया गया कि अनावेदक को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी। इसलिये जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसमें धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र किया है अपील में हुये विलंब के संबंध में पर्याप्त कारण दिये है जिनपर विचार करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को समय सीमा में मानकर अगामी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये है।

अधिवक्ताओं द्वारा किये गये तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। तथा आदेश की जानकारी दिनांक से प्रत्येक दिन का विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि विलंब असद्भाविक नहीं है बल्कि सद्भाविक होने से क्षमा योग्य है।

R 605 ७/16

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु नियत किया गया है जिसमें आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से इस स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य